रजिस्ट्री सं० डी-221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

संख्या 28] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 1965/चैत्र 2, 1887

No. 28] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 1965/CHAITRA 2, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

CASHEW

New Delhi, the 23rd March 1965

No. 13/25/64-EP(Agri).—In pursuance of the recommendation made by the Board of Trade at its 11th meeting held in Calcutta in February, 1964, the Government of India in the Ministry of Commerce set up in April, 1964 a Study Group on Cashew to look into the question of cashew exports and cashew production and to advise the Government on the steps to be taken for achieving the targets fixed for cashew kernel exports in the Third and Fourth Five-Year Plans, and for ensuring the raw nut supply required for these exports The composition of this Study Group was as follows

Chairman

1. Dr P. S. Lokanathan, Director-General, National Council of Applied Economic Research

Members

2. Shri B P. Patel, Chairman, State Trading Corporation of India Ltd
3. Shri S. Hamid, Joint Secretary, Ministry of Commerce
4. Dr. D. K. Ghosh, Director (Foreign Exchange) Planning Commission
5. A representative of the Ministry of Food & Agriculture

Secretary

6. Shri G R. Kadapa, Deputy Secretary, Ministry of Commerce

2. The terms of reference of the Study Group were as follows:—

(a) Review of the steps now being taken to develop the production of raw cashew nuts within the country;

(b) assessment of the future requirements of indigenously produced raw cashew nuts for the Indian cashew processing industries having regard to:—

(i) possibilities of increased exports of cashew kernels;

(ii) possibilities of increased domestic consumption of cashew kernels;

(iii) possibilities of reduced availability of raw nuts from foreign sources

(c) suggesting measures for increasing production of raw nuts for meeting the estimated requirements;

(d) indication of the regions in which increased production could be achieved;

(e) study of the adequacy of the present arrangements for storage of raw nuts and their transportation to processing factories and suggesting measures for their improvements; and

(f) making such other recommendations as may be considered necessary to maintain optimum supplies of domestic raw nuts to the cashew industry.

3. The Study Group, after detailed discussions with the leading cashew growing States in India (namely Kerala, Mysore, Madras and Andhra Pradesh), with the Government of Maharashtra which has embarked on an ambitious programme of new cashew cultivation and with organisations concerned with export and production of cashew, submitted its report to the Board of Trade in November, 1964. The Board of Trade considered the report of this Study Group at its 18th meeting held in Madras on the 7th December, 1964 and generally endorsed the recommendations of the Study Group. A summary of the observations and recommendations of the Study Group is given in the Annexure to this Resolution.

4. Government take note of the observations made by the Study Group at S. Nos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 and 10 in the Annexure.

5. Government generally agree with the recommendations of the Study Group as contained in S. Nos. 4, 8, 11, 16, 17, 18 and 19 in the Annexure. The question of improving and perfecting methods of collection has to be further gone into in greater detail by an Expert Committee, which will also consider steps that have to be taken to put a restraint on excessive consumption of cashew within the country. Government agrees that raw nut imports by cashew exporters should be regulated in such a way that there is the least disturbance to cashew exports from India The suggestions made by the Study Group for publicising and popularising cashew in the countries abroad, including opening of foreign offices of the Cashew Export Promotion Council, will be given due consideration. Government also agree with the recommendation of the Study Group that until adequate indigenous supplies are available, the cashew exporters should be assisted with import licences for tinplates, etc; this problem is constantly under review, and the exporters are given every facility in their export promtion effort

6. The Study Group has recommended that the ceiling on land under the Land Reforms Act should be lifted to provide sufficient inducement to cultivators to bring more land under cashew production (S. No. 12); that the terms and conditions of loans offered to cashew cultivators should be liberalised (S. No. 13); and that the cashew cultivators should be assisted in the matter of soil fertilization by free distribution of a special mixture and that the cost of this mixture should be shared equally by the Centre and the State Governments (S. No. 14). Government will give due consideration to all these recommendations

7. The Study Group has recommended at Recommendation No. 15 that a provision of Rs. 19·38 crores should be made in the Fourth Plan towards expenditure on cashew research and development and towards grants and loans to cashew cultivators. Efforts, are being made to make a suitable provision in the Fourth Plan for this purpose.

8. Government wish to place on record their great appreciation of the very valuable work done by the Study Group in preparing a concise report on cashew exports and cashew production and for their studied recommendations and observations.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

ANNEXURE

SUMMARY OF OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS

1. Cashew is one of our major foreign exchange earners today, ranking among the ten top export earners and the second biggest dollar earner for India.

2 Cashew kernel, cashew apple and cashew shell have all their distinctive uses and they all possess rich potential, commercially as well as industrially.

3. Since only one-third of the total quantity of 1,35,000 tonnes of raw nuts produced in the country is going into the export market by way of kernels, nearly 90,000 tonnes of raw nuts are either consumed or wasted due to inadequate collection facilities, thereby making it imperative for this country to rely on large-scale import of cashew nuts to maintain our cashew kernel imports.

4. The question of improving and perfecting the methods of collection, transportation and processing of raw nuts should be further gone into by the Government. There should also be restraint on excessive consumption of cashew within the country.

5. Any wastage of this precious nut or undue consumption of it within the country is detrimental to the interests of our export promotion.

6. It is heartening to see that there is awareness for stepping up cashew production in all the States.

7. By the end of the Fourth Five-Year Plan, India should be able to produce 3,28,000 tonnes of raw nuts and thus count on the availability of 1,78,000 tonnes of indigenous raw nuts for processing and export after making allowance for 1,50,000 tonnes towards wastage and indigenous consumption.

8. We consider that we should not cut our raw nut imports in anticipation of the estimated reduction in the import of raw nuts by 1970-71 but on the basis of actual increase in the indigenous production and the actual availability of indigenous raw nuts for export.

9. We are convinced that so far as cashew nuts are concerned, the world market, especially the U.S.A., West European countries and the USSR, can absorb a very much larger quantity than we are planning to export during the Fourth Plan.

10. Any undue reduction in our raw nut imports from our traditional suppliers might drive them to a certain policy which may not be favourable to India in the long run.

11. Since much will depend on the performance of Maharashtra, Mysore and Orissa which have embarked on ambitious programmes of cashew cultivation during the Fourth Plan, we suggest that the Joint Consultative Committee of the Ministries of Food & Agriculture and Commerce should watch the progress of cashew cultivation in these States and review the programmes from time to time.

12. At least in the initial stage, the Government will have to offer sufficient inducement to cultivators to bring more land under cashew production. One important step towards the measure would be to lift the ceiling on land under the Land Reforms Act, as is already done in the case of tea and rubber.

13. Since the present financial assistance offered to cashew cultivators is far too inadequate, we suggest that such cultivators be offered an advance of Rs. 200 per acre, of which 25 per cent may be an outright grant and the remaining 75 per cent may be treated as a loan The interest on such loans, which should not be more than 6 per cent should not be charged for the first 5 years. The repayment of loans should be in 8 annual instalments starting from the sixth year or even later.

14. By way of assistance to cashew cultivators in the matter of soil fertilisation, a special mixture should be got prepared for free distribution to cultivators—the cost of preparing this mixture being shared equally by the Centre and the State Governments.

15. Considering that 9,38,000 acres of additional land is proposed to be brought under cashew cultivation during the Fourth Plan, a provision of Rs. 19.38 crores will have to be made in the Fourth Plan towards the expenditure on cashew research and development and towards grants and loans to cashew cultivators.

16. In order to maintain additional outlets for our cashew exports and to enlarge them from year to year we should increase our efforts in publicising and popularising cashew in countries abroad.

17. While congratulating the Ministry of Commerce and the Cashew Export Promotion Council on the good work that they have done in publicising cashew in foreign markets and in setting up a Cashew Promotion Office in Europe, we consider that there is need for a similar office in the United States where there are vast possibilities for expanding our cashew exports.

18. In order to ensure a good name for our cashew in foreign markets, the pre-shipment quality control instituted by the Cashew Export Promotion Council should be vigorously enforced.

19. In order to offer better packaging and merchandising facilities to cashew exporters in India, the Government should assist them with quota/import licences for tinplates, cardboard cartons craft lining etc. until such time as our country is in a position to produce and supply these items indigenously and in sufficient quantities.

D. N. BANERJEE, Jt Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

काजू

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1965

म० 13/25/64—नि० सं० (कृषि).—कलकत्ता में फरवरी, 1964 में हुई 'व्यापार बोर्ड' की 11वीं बैठक की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अप्रैल, 1964 में काजू के विषय में एक अध्ययन दल की स्थापना की है जो कि काजू के निर्यात तथा उत्पादन के मामलों की छानबीन करेगा और तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में काजू की गिरी के निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने तथा आवश्यक कच्चे फलों के संभरण को सुनिश्चित करने के विषय में सरकार को सलाह देगा। इस अध्ययन दल का गठन इस प्रकार था :—

1. डा० पी० एस० लोकनाथन, — अध्यक्ष
   महानिदेशक, राष्ट्रीय व्यावहारिक.
   अर्थशास्त्र गवेषण परिषद्।

2. श्री बी० पी० पटेल, — सदस्यों
   अध्यक्ष,
   भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०।

3. श्री एस० हामिद,
   संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय।

4. डा० डी० के० घोष,
निदेशक (विदेशी विनिमय)
योजना आयोग ।

5. खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का
एक प्रतिनिधि ।

6. श्री जी० आर० कडापा, सचिव
उप-सचिव,
वाणिज्य मंत्रालय ।

2. अध्ययन दल के विचारणीय विषय इस प्रकार थे :—

(क) देश में कच्चे काजू के उत्पादन के विकास के लिए इस समय उठाए जाने वाले कदमों का पुनरावलोकन,

(ख) भारतीय काजू समापन उद्योगों के लिए देश में पैदा हुए कच्चे काजू की गिरी की भावी आवश्यकताओं का आकलन जो इन से सम्बद्ध हो :—

(1) काजू की गिरी के निर्यात में वृद्धि होने की सम्भावनाएं,

(2) काजू के घरेलू उपभोग में वृद्धि की सम्भावनाएं,

(3) विदेशी साधनों से प्राप्त होने वाले कच्चे काजू की उपलब्धि में कमी की सम्भावनाएं ।

(ग) अनुमानित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कच्ची गिरी के उत्पादन में वृद्धि करने के साधनों के बारे में सुझाव देना,

(घ) उन क्षेत्रों का बताया जाना जहां उत्पादन में वृद्धि की जा सके,

(ङ) कच्ची गिरी के भंडारन के पर्याप्त वर्तमान प्रबन्धों और उन्हें कारखानों में ले जाने का अध्ययन करना तथा उन साधनों में सुधार करने के सुझाव देना, और

(च) ऐसी अन्य सिफारिशें करना जो काजू उद्योग को देशी कच्ची गिरी का इष्टतम संभरण बनाये रखने के लिए आवश्यक समझी जायं ।

3. अध्ययन दल ने, भारत के प्रमुख काजू उत्पादक राज्यों (अर्थात् केरल, मैसूर, मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश), महाराष्ट्र सरकार जिस ने काजू की नई खेती का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया है और काजू के निर्यात तथा उत्पादन सम्बन्धी संगठनों से विस्तृत बातचीत करने के पश्चात् नवम्बर, 1964 में व्यापार बोर्ड की सेवा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । व्यापार बोर्ड ने 7 दिसम्बर, 1964 को मद्रास में हुई अपनी 18वीं बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसकी सिफारिशों की सामान्यतः पुष्टि की । अध्ययन दल के विचारों तथा सिफारिशों का सारांश इस संकल्प के अनुबन्ध में दिया गया है ।

4. अनुबन्ध के क्रमांक 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 तथा 10 में दिए गये अध्ययन दल के विचारों को सरकार ने नोट किया है ।

5. अनुबन्ध के क्रमांक 8, 11, 16, 17 तथा 19 में दी गई अध्ययन दल की सिफारिशों से सरकार सामान्यतः सहमत है। संकलन प्रणालियों को सुधारने तथा श्रेष्ठ करने के प्रश्न पर एक विशेषज्ञ समिति द्वारा और अधिक विस्तारपूर्वक विचार होना है जो देश में काजू के अत्यधिक उपभोग को रोकने के उपायों पर भी विचार करेगी। सरकार इस बात पर सहमत है कि काजू निर्यातकों द्वारा काजू गिरी का आयात इस प्रकार विनियमित होना चाहिये कि भारत से काजू का निर्यात करने में तनिक भी कठिनाई न हो। अध्ययन दल ने विदेशों में काजू का प्रचार करने और उसे लोकप्रिय करने के जो सुझाव दिये हैं उन पर यथोचित विचार किया जायगा। इन सुझावों में काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद् के विदेशी कार्यालय खोलना भी शामिल है। सरकार अध्ययन दल की इस सिफारिश से भी सहमत है कि जब तक पर्याप्त परिमाण में देशी माल का संभरण न होने लगे तब तक काजू निर्यातकों को टीन के प्लेटों आदि का आयात करने के लाइसेन्स आदि दे कर सहायता देना चाहिये। इस समस्या पर निरन्तर विचार किया जा रहा है और निर्यातकों को उनके निर्यात संवर्द्धन प्रयत्नों में पूरी सुविधाएं दी जाती हैं।

6. अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत भूमि की जो अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है उसे हटा देना चाहिये जिससे उत्पादकों को और अधिक भूमि में काजू पैदा करने को प्रोत्साहन मिले (क्रमांक 12)। काजू उत्पादकों के लिए ऋण की शर्तें उदार कर देना चाहिये (क्रमांक 13), और काजू उत्पादकों को उर्वरकों का विशेष मिश्रण मुफ्त देकर भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहायता देनी चाहिये और इस मिश्रण की लागत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें बराबर के हिस्सों में वहन करें (क्रमांक 14)। सरकार इन सभी सिफारिशों पर यथोचित ध्यान देगी।

7. अध्ययन दल ने सिफारिश सं० 15 में यह सिफारिश की है कि चौथी योजना में काजू की गवेषणा तथा विकास करने और काजू उत्पादकों के ऋण तथा अनुदान देने के लिए 19.38 करोड़ रु० रखे जाने चाहियें। चौथी योजना में इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

8. अध्ययन दल ने काजू के निर्यात तथा उत्पादन के विषय में एक संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और विद्वतापूर्ण सिफारिशें तथा विचार व्यक्त करने में जो अत्यन्त मूल्यवान कार्य किया है सरकार उसकी प्रशंसा करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेज दी जाय।

अनुबन्ध

विचारों तथा सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण

1. आज काजू हमारा विदेशी मुद्रा का एक बड़ा उपार्जक साधन है। दस उच्चतम निर्यात उपार्जकों में इसकी गणना होती है और भारत के लिए डालर प्राप्त करने में इसका दूसरा स्थान है।

2. काजू की गिरी, फल और छिलका सभी के अपने निश्चित प्रयोग हैं और वाणिज्य तथा उद्योग दोनों दृष्टियों से इनकी भविष्य में अच्छी उन्नति होने की आशा है।

3. चूंकि देश में पैदा होने वाले कुल 1,35,000 मी० टन कच्चे काजू में से केवल एक तिहाई भाग का ही गिरी के रूप में निर्यात होता है, इसलिये लगभग 90,000 मी० टन कच्चा काजू संकलन की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण या तो देश में ही खप जाता है अथवा बरबाद हो जाता है। इसलिये हमें अपने काजू की गिरी के निर्यात को बनाये रखने के लिए विदेशों से बड़े पैमाने पर काजू का आयात करना पड़ता है।

4. कच्चे काजू के संकलन, परिवहन और समापन की प्रणालियों को सुधारने और श्रेष्ठ करने के प्रश्न पर सरकार को और भी विचार करना चाहिये देश में काजू के अत्यधिक उपयोग पर भी प्रतिबन्ध लगना चाहिये।

5. इस मूल्यवान गिरी की बरबादी और देश में अनुचित उपयोग किया जाना हमारे निर्यात संवर्द्धन के लिए हानिकारक है।

6. यह बात उत्साहजनक है कि सभी राज्यों में काजू का उत्पादन बढ़ाने की चेतना उत्पन्न हो गई है।

7. चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भारत को 3,28,000 मी० टन कच्चा काजू उत्पन्न करने लगना चाहिये जिसमें बरबादी तथा देश में उपयोग करने के लिए 1,50,000 मी० टन छोड़ कर समापन करके निर्यात करने के लिए, 1,78,000 मी० टन देशी काजू उपलब्ध रह सके।

8. हमारा विचार है कि 1970–71 तक कच्चे काजू के आयात में कमी हो सकने के अनुमानित आशा के आधार पर ही हमें अपना कच्चे काजू का आयात नहीं घटा देना चाहिये, यह कमी वास्तव में देशी उत्पादन में होने वाली वृद्धि और निर्यात के लिए उपलब्ध उसके परिमाण को देखते हुए ही करना चाहिये।

9. हमारा विश्वास है कि जहा तक काजू का सम्बन्ध है विश्व बाजार विशेषतः संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पश्चिम यूरोप के देशों और रूस में उस परिमाण की अपेक्षा कहीं अधिक काजू खप सकता है जिसके चौथी योजना में निर्यात करने की हम योजना बना रहे हैं।

10. अपने पुराने संभरण कर्त्ताओं से होने वाले काजू के आयात में हमने यदि कोई अनुचित कमी की तो वे ऐसी नीति अपना ले सकते हैं जो अन्त में भारत के अनुकूल नहीं होगी।

11. चौथी योजना में काजू पैदा करने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू कर चुकने वाले महाराष्ट्र, मैसूर और उड़ीसा की सफलताओं पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा, इसलिये हमारा सुझाव है कि इन राज्यों में काजू की खेती की प्रगति की खाद्य और कृषि तथा वाणिज्य मंत्रालयों की एक संयुक्त सलाहकार समिति देख रेख करे और समय समय पर इस कार्यक्रम की समीक्षा करे।

12. काजू उत्पादन में अधिक भूमि लगाने के लिए सरकार को उत्पादकों को पर्याप्त प्रोत्साहन, विशेषतः प्रारम्भिक अवस्था में, देना होगा। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम यह होगा कि भूमि-सुधार अधिनियम के अन्तर्गत भूमि की अधिकतम सीमा हटा देनी चाहिये जैसा कि चाय और [illegible] में किया गया है।

13. चूंकि काजू उत्पादकों को दी गई वित्तीय सहायता बहुत कम है इसलिये हमारा सुझाव है कि इन उत्पादकों को 200 रु० प्रति एकड़ अग्रिम दिया जाय। इसमें से 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 75 प्रतिशत ऋण के रूप में दी ज[illegible]। इस [illegible] पर 6 [illegible]

अधिक ब्याज न लिया जाय और उसके पहले 5 वर्ष तक वसूल न किया जाय। ऋण की अदायगी 8 वार्षिक किश्तों में हो जो छठे वर्ष से अथवा उसके भी बाद से हो।

14. काजू उत्पादकों को उर्वरकों के रूप में सहायता देने के लिये एक विशेष मिश्रण के उर्वरक तैयार कराये जायं और उत्पादकों में उन्हें निःशुल्क बांटा जाय। इस मिश्रण को तैयार करने की लागत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें बराबर बराबर वहन करें।

15. यह विचार करते हुए कि चौथी योजना में काजू की खेती के लिए 9,38,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि काम में लाने का प्रस्ताव है, चौथी योजना में काजू की गवेषणा और विकास तथा उत्पादकों को अनुदान एवं ऋण देने के लिए 19 38 करोड़ रु० रखे जाने चाहिये।

16. काजू निर्यात के अतिरिक्त साधन खोज निकालने और उनमें प्रतिवर्ष विस्तार करते रहने के लिए हमें विदेशों में काजू का प्रचार और उसे लोकप्रिय करते रहने के प्रयत्न बढ़ा देने चाहिये।

17. वाणिज्य मन्त्रालय और काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने विदेशी बाजारों में काजू का प्रचार करके और यूरोप में एक काजू संवर्द्धन कार्यालय खोल कर जो अच्छा कार्य किया है उसके लिए उन्हें बधाई देते हुए हमारा विचार है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी एक ऐसे ही कार्यालय की आवश्यकता है जहां हमारे काजू का निर्यात बढ़ाने की विशाल सम्भावनाएं हैं।

18. विदेशी बाजारों में हमारे काजू का निश्चित रूप से नाम करने के लिए यह आवश्यक है कि काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा चालू किया गया लदान पूर्व किस्म नियन्त्रण तेजी के साथ अमल में लाया जाय।

19. भारत के काजू निर्यातकों के लिए पैक करने और माल भेजने की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए सरकार को चाहिये कि उन्हें टीन की प्लेटों, गत्ते के डिब्बों, क्राफ्ट अस्तर आदि का कोटा आयात लाइसेन्स दे कर तब तक सहायता करे जब तक कि ये वस्तुएं हमारे देश में ही पर्याप्त परिमाण में न बनने लगें।

डी० एन० बनर्जी,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965